पत्र सं0 :–26 / विविध–06–13 / 2025.................................../

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, मोतिहारी परिक्षेत्राधीन तिरहुत नहर प्रमंडल, गोरौल / लालगंज / मोतीपुर, कैम्प मुजफ्फरपुर / रतवारा के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य एकरारनामा सं0–02SBD/2014-15 दिनांक–16.09.2014 के तहत संवेदक M/S AYMANS INFRA, PART.-SHEIKH MOHAMMED NASEER AHMED, H.No-22-65/A, SEETHARAMNAGAR, HUZURNAGAR, NALGONDA, TELANGANA, PIN-508204 द्वारा कराया जा रहा है एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि–28.12.2018 है।

उक्त कार्य को निष्पादित करने हेतु बार–बार संवेदक को निदेशित किया गया, परंतु संवेदक के मनमानी रवैया के कारण विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं किया गया। तदोपरांत मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, मोतिहारी के पत्रांक–1269 दिनांक–17.04.2025 द्वारा संवेदक को कालीसूची में डाले जाने हेतु अनुशंसा की गयी। 'एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक' बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11(क) (ii) में उल्लेखित कदाचार की श्रेणी में आता है।

उक्त कदाचार के लिए विभागीय पत्रांक–2092 दिनांक–15.05.2025 द्वारा संवेदक M/S AYMANS INFRA, TELANGANA से कारण पृच्छा की गयी। तदालोक में संवेदक द्वारा कारण पृच्छा प्रत्युत्तर समर्पित किया गया, जिसमें निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है:–

- पूर्वी गंडक नहर प्रणाली (गंडक फेज–II) योजना अन्तर्गत मात्रा तथा स्कोप ऑफ वर्क में परिवर्तन होने के कारण कार्य पूर्ण करने में विलंब हुआ।
- संवेदक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विभिन्न नहर प्रणाली हेतु आई0आर0 उपलब्ध नहीं होने के कारण Fresh Topoghaphical Survey के पश्चात् नये Alignment आई0आर0 तथा एल0ए0 प्लान तैयार किया जाना है।
- संवेदक द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि IR Preparation मूल एकरारनामा में नहीं होने के कारण पूरक एकरारनामा किया गया।
- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, मोतिहारी द्वारा Alignment के अनुमोदन के पश्चात् भू–अर्जन प्लान तैयार किया जाना संभव है।
- दिनांक–11.05.2025 को सर्वेक्षण कार्यो की जाँच में बचे हुए सर्वेक्षण कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
- नये बसावट के कारण पूर्व में निर्धारित Alignment का अतिक्रमण की समस्या होने से पुनः नये Alignment का चयन किया गया।
- स्कोप ऑफ वर्क अंतर्गत Contour वर्क तथा Alignment वर्क को पूर्ण कर लिया गया है तथा Preparation of IR, LA Plan एवं LA Register क्रमशः 96%, 45% एवं 15% तक किया गया है।

संवेदक से प्राप्त कारण पृच्छा प्रत्युत्तर की समीक्षा यो0 एवं मो0 अंचल से करायी गयी, जिसमें पाया गया कि मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, मोतिहारी के प्रतिवेदन के साथ संलग्न कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल, रतवारा द्वारा प्रतिवेदित है कि परामर्शी मे0 आयमंस इन्फ्रा द्वारा पूर्वी गंडक नहर प्रणाली (गंडक फेज–II) योजना अंतर्गत सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है। सर्वेक्षण कार्य परामर्शी द्वारा बहुत धीमी गति से होने के कारण विगत दस वर्षों में अब तक समाप्त नहीं हो पाया है। कार्य में गति लाने हेतु बार–बार परामर्शी को निर्देश दिया गया है, परन्तु परामर्शी द्वारा कार्य में गति लाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। विदित हो कि परामर्शी को Alignment निर्धारण एवं आई0 आर0 का स्थल सत्यापन

का निर्देश दिया गया था। साथ ही शेष 33 LA Plan समर्पित करने का भी निर्देश दिया गया था, परन्तु 04 माह बीत जाने के बाद भी केवल 06 अद्द LA Plan समर्पित किया गया है जबकि 27 LA Plan अभी भी परामर्शी द्वारा प्रमंडल में उपलब्ध नहीं कराया गया है। कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल, रतवारा के पत्रांक-1419 दिनांक-22.11.2024 द्वारा इसके लिए स्मार भी दिया गया।

उक्त वर्णित स्थिति तिरहुत नहर प्रमंडल गोरौल/लालगंज/मोतीपुर कैम्प, मुजफ्फरपुर की भी है। माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के द्वारा दिनांक-16.07.2016 एवं 17.07.2017 को मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर एवं मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, बाल्मीकीनगर परिक्षेत्राधीन चालू योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही में गंडक फेज-2 के कंडिका-(ग) अंतर्गत कंटुरिंग कर एल0ए0 प्लान का काम तीन माह के अंदर पूर्ण करने का निदेश दिया गया, जो संवेदक द्वारा तय सीमा के अंदर नहीं किया गया।

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी के अध्यक्षता में दिनांक-14.12.2024 को आहूत बैठक में भी परामर्शी को शेष कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु तकनीकी कर्मी एवं अमीन उपलब्ध कराने का स्पष्ट निर्देश दिया गया था, परन्तु परामर्शी द्वारा मनमानी रवैया अपनाने एवं विभागीय पदाधिकारियों के निदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण कार्य को ससमय पूर्ण नहीं किया गया, जो संवेदक की कर्तव्यहीनता एवं कार्य के प्रति घोर लापरवाही की मंशा को परिलक्षित करता है। उक्त कदाचार के लिए संवेदक को कालीसूची में डाले जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में संवेदक मेसर्स M/S AYMANS INFRA, PART.-SHEIKH MOHAMMED NASEER AHMED, H.No-22-65/A, SEETHARAMNAGAR, HUZURNAGAR, NALGONDA, TELANGANA (निबंधन सं0-WRD190224C1PF10/2024, प्रथम श्रेणी) को 10 वर्षों के लिए कालीसूची में डाला जाता है।

ह०/-
(शरद कुमार)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक : ....पटना/दिनांक :..

प्रतिलिपि :- संवेदक M/S AYMANS INFRA, PART.-SHEIKH MOHAMMED NASEER AHMED, H.No-22-65/A, SEETHARAMNAGAR, HUZURNAGAR, NALGONDA, TELANGANA को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(शरद कुमार)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक :..........3609............/पटना, दिनांक :..01.8.25..........

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण यो0 एवं मो0, अंचल, पटना/अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0, अंचल -2,3,4, पटना/निदेशक, क्रय भंडार एवं सामाग्री प्रबंधन, जल संसाधन विभाग एवं कार्यपालक अभियंता, प्रभारी आई0टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/7/25
(शरद कुमार)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय